<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>
समक्ष : <u>मनोज गोयल,</u>
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक **3799–पीबीआर/2012** विरूद्ध आदेश दिनांक 01–10–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला– विदिशा प्रकरण क्रमांक 61/2008–09/निगरानी,

....

जवाहर सिंह पुत्र नारायण सिंह लोधी,
निवासी–ग्राम रघुनाथपुर, तहसील ग्यारपुर
जिला–विदिशा, मध्यप्रदेश .... **आवेदक**

<u>विरूद्ध</u>

1– **रेखा दुवे पत्नी ओ0पी0 दुबे,**
2– **रानू दुबे पत्नी मनोज दुबे,**
निवासीगण 6, क्लब रोड, विदिशा, म0प्र0
3– **तस्कीन अली पत्नी अशरफ अली,**
निवासी – स्टेशन रोड, गुलाबगंज, तहसील ग्यारसपुर
जिला–विदिशा, म0प्र0,
4– **जसवन्त पुत्र उत्तम सिंह**
निवासी–देवास रोड, उज्जैन, तहसील व
जिला–उज्जैन मध्यप्रदेश
5– **यशोधरा पुत्री ठाकुर यशवंत सिंह,**
6– **संग्राम सिंह पुत्र ठाकुर यशवंत सिंह**
निवासीगण 66, विश्वविद्यालय मार्ग, उज्जैन
उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन, म0प्र0 ....**अनावेदकगण**

....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण (1, 2, व 3)
अनावेदकगण एकपक्षीय (4, 5, व 6)

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/9/15 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला– विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–10–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथपुर की भूमि खसरा नम्बर 59/2/1/1 रकबा 1.387 हैक्टयर 59/2/1/2 रकबा 0.523 हैक्टयर

59/2/2 रकबा 2.090 हैक्टयर 59/2/3 रकबा 2.000 हैक्टयर का मालिक काबिज चला आ रहा है और यह भूमि निगरानीकर्ता की पैत्रिक भूमि है तथा निगरानीकर्ता के पिता स्व0 नारायण सिंह से विभागजन में प्राप्त हुई है और यह भूमि निगरानीकर्ता के दादा रामप्रसाद की रही है । निगरानीकर्ता का विभागजन दिनांक 09.12.1998 को अभिलेख में हो चुका है किन्तु अनावेदक क्रमांक 4 लगायत 6 ने फर्जी तौर विधिविरूद्ध अपने नाम इन्द्राज करा लिया जिसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन लंबित है । अनोवदक क्रं0 4 लगायत 6 से अनावेदक क्रं0 1 लगायत 3 ने बिना स्वत्व आधिपत्य के दिनांक 20.02.2008 को विक्रयपत्र संपादित कराया जबकि अनावेदक क्रं0 4 लगायत 6 को विक्रय करने का अधिकार नहीं है और न ही अनावेदक क्रं0 1 लगायत 3 को क्रय करने का कोई अधिकार है । अनावेदक क्रं0 4 लगायत 6 के द्वारा गलत इन्द्राज का प्रकरण भी वरिष्ठ न्यायालय में विचाराधीन है । अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 ने प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 विदिशा में दीवानी वाद प्रस्तुत कर स्टे की मांग की है और दिनांक 07.03.2009 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 द्वारा आवेदक का कब्जा वैध मानते हुये अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत स्टे आवेदन खारिज दिया गया । इस आलोच्य आदेश से दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार तहसील गुलाबगंज के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 23/अ–6/2008–09 में पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 09.06.2009 से आवेदक द्वारा नामांतरण किये जाने बावत् प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार गुलाबगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2009 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर विदिशा के समक्ष पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 61/2008–09/निगरानी दर्ज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार गुलाबगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2009 को स्थिर रखते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी पारित आदेश दिनांक 01.10.2012 से निरस्त कर दिया गया । अपर कलेक्टर विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2012 से दुखी होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में प्रस्तुत किया कि, विवादित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालयों में चले पूर्व प्रकरणों में पारित आदेशों के विरूद्ध वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन नम्बर 2797/07 विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में जब स्वत्व के सम्बन्ध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन था तब वर्तमान प्रकरण में कार्यवाही की जाना न्यायोचित नहीं है । पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के स्वत्व के सम्बन्ध में दीवानी प्रकरण भी विचाराधीन होकर उसमें स्थगन के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध रिट पिटीशन नम्बर 2326/2010(1) विचाराधीन है, तथा उसमें दिनांक 05–05–2010 को यथास्थिति का आदेश हो चुका है । इस तथात्मक स्थिति से अवगत होते हुये भी विवादित आदेश से आवेदक की निगरानी खारिज करने में भूल की है । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी बताया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2009 के पूर्व ही पक्षकारों के मध्य दीवानी प्रकरण प्रस्तुत होकर विचाराधीन था तब राजस्व न्यायालयों को दीवानी प्रकरण के निराकरण तक नामांतरण की कार्यवाही स्थगित रखना चाहिये था इस सम्बन्ध में न्यायालय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय के अभिनिर्धारणों पर भी कोई विचार नहीं किया गया है । न्यायालय अपर कलेक्टर में रिट पिटीशन नंबर 2326/10(1) में पारित आदेश दिनांक 05.05.10 की प्रमाणित प्रति छायाप्रति प्रस्तुत की गई थी तथापि यदि न्यायालय अपर कलेक्टर के मत में प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक था तब तद आशय का निर्देश आवेदक को दिया जाना चाहिये था । जब आदेश दिनांक 05.05.2010 का कोई खण्डन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं तथा अनावेदकगण द्वारा भी इस तथ्यात्मक स्थिति से इन्कार नहीं किया गया तब छायाप्रति पर विश्वास किया जाना चाहिये था । दीवानी न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी प्रभाव रखता है ऐसी स्थिति में नामांतरण की कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिये था । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार एवं न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण क्रमांक 1, 2, एवं 3 के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि, आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल

के समक्ष अपर कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/2008–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 01.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा आवेदक की निगरानी निरस्त की जाकर अतिरिक्त तहसीलदार गुलाबगंज के नामांतरण प्रकरण क्रं0 23/अ–6/2008–09 को यथावत रखा तथा आवेदक की आपत्ति निरक्त की गई । अनोवदक क्रं0 1 लगायत 3 द्वारा विवादित भूमि लक्ष्मीदेवी की थी तथा लक्ष्मीदेवी की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसानों ठाकुर यशवन्त सिंह, संग्राम सिंह एवं यशोदरा से अनावेदकगण द्वारा यह विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा क्रय की गई थी तथा आवेदक ने विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में प्रकरण अन्तर्गत धारा 190 के तहत भूमि स्वामी वादग्रस्त भूमि के स्वामी बन गए थे तथा उक्त आदेश के विरूद्ध लक्ष्मीदेवी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जोकि स्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर तक के न्यायालय में चला, जिसमें अनुविभागीय अध्किारी द्वारा पारित आदेश यथावत रखा गया तथा उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों का वर्णन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2012 के पद क्रं0 2 में किया गया है । अनावेदकगण क्रं 1 लगायत 3 द्वारा विवादित भूमि अनावेदक क्रं0 4 लगायत 6 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई जिसके पश्चात् अनावेदक क्रं0 1 लगायत 3 द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार गुलाबगंज के समक्ष नामांतरण प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा तहसीलदार गुलाबगंज द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजों पर विचार कर आवेदक की उक्त आपत्ति निरस्त कर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया एवं उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों पर विचार कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की गई । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह द्वितीय निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है एवं द्वितीय निगरानी प्रचलनशील न होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है । अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में यह भी बताया गया है कि आवेदक द्वारा यह द्वितीय निगरानी अनावश्यक रूप से प्रकरण को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की है जबकि आवेदक के पास विवादित भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, न ही उक्त

विवादित भूमि पर उसका कोई अधिकार है क्योंकि वह पूर्व में राजस्व मण्डल के न्यायालयों में चले प्रकरणों तक में हार गया है और उपरोक्त तथ्यों पर विधिपूर्वक विचार कर तहसीलदार गुलाबगंज द्वारा नामांतरण प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निरस्त की गई एवं उक्त आदेश की अपील भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त की गई है । अंत अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क स्वीकार कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 4 लगायत 6 प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे, इसलिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

6/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। प्रकरण में वर्तमान निगरानी, जो कि इसी विषय पर दूसरी निगरानी है, में केवल इस बिन्दु पर विचार होना है कि क्या तहसीलदार को सिविल न्यायालय में प्रकरण लंबित होने पर उनके समक्ष कार्यवाही को स्थगित करना चाहिये था या नहीं । निगरानीधीन आदेश तहसीलदार द्वारा दिनांक 9–6–2009 को पारित किया गया । इसके उपरांत आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय का डब्ल्यू0पी0 नम्बर 2336/2010 में पारित आदेश दिनांक 5–5–10 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं । ऐसी स्थिति में अब इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार के दिनांक 9–6–2009 के आदेश पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं है । प्रकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ समाप्त किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के प्रकाश में समुचित निर्णय लेवें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर